41080
18-5-23

सेवा में ,

जन सूचना अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औधोगिक प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा , ज़िला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

<u>विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत निम्न सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।</u>

1. यह कि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गई ग्राम खेड़ा चौगानपुर की भूमि के एवज में अवशेष 670 वर्ग मीटर किसान आबादी आवासीय भूखंड आवंटित किया किया जाना प्रस्तावित है उक्त भूखंड का आवंटन /आरक्षण पत्र दिनांक 10-11- 2015 को पत्रांक :- संपत्ति/किसान- आबादी/2015/ 320 द्वारा स्वर्गीय श्री रतनलाल पुत्र श्री भागमल निवासी खेड़ा चौगानपुर जिला गौतम बुध नगर को आवंटित/ पत्र जारी हुआ है। उक्त ग्राम की भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष 6% आबादी का भूखंड पूर्व में आवंटित हुआ था जिसका मेरे स्वर्गीय पिताजी का देहांत हो जाने के पश्चात हम तीन भाइयों के नाम उक्त भूखंड का म्यूटेशन हो चुका है उसमें भी एक भाई की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी व बच्चों के नाम म्यूटेशन हो चुका है । क्योंकि हम तीनों भाइयों का परिवार अलग-अलग निवास करता है इसलिए उक्त भूखंड को तीन बराबर भागों में विभाजित कर दिये जाने हेतु पूर्व में कई आवेदन दिये है । क्या उक्त भूखंड का विभाजन कर आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है अथवा नहीं । यदि नहीं तो क्यों?

PIO-6% Abadi
R.T.I.-21...
19.5.23

2. यह कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 19/03/2021 को महाप्रबंधक नियोजन व दिनांक 09/09/2021 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा दिनांक 22/09/2022 को महाप्रबंधक नियोजन/एस डी एम भूलेख /सी ई ओ महोदय को प्रेषित आवेदनों (Online Reference No. 2022/1968 व 2022/1971/ 2022/1972 सभी दिनांक 22/09/2022) पर क्या कार्यवाही हुई।

3. यह कि उक्त आवंटित भूखंड़ को तीन बराबर भागों में विभाजित कर अलग-अलग आवंटन पत्र अभी तक जारी क्यों नहीं किए गए ।

रविन्द्र कुमार

सूचना चाहने वाले का नाम व पता

रविन्द्र कुमार
ग्राम- खेड़ा चौगानपुर
ग्रेटर नोएडा, ज़िला - गौतम बुध नगर
मोबाइल संख्या [redacted]

संलग्न :-
1) Rs 10. Indian Postal Order No. 57F 405161
2) I.D Proof
3) पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रतियां (3)

PIO 6% Abadi
19/5/23